न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 120/2023 (रिमाण्ड प्रकरण)

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. चैनाराम पुत्र बालूराम 2. मोहनराम पुत्र हरूराम (जातियान विश्नोई निवासी उदानियों की ढाणी, तहसील फलौदी जिला जोधपुर		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी फलौदी आदेश क्रमांकः1431 दिनांक 27.2.23

उपस्थिति –
1. श्री रोशनलाल वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.03.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि शिविर प्रभारी प्रशासन गॉव के संग अभियान 2021–उपखण्ड अधिकारी फलौदी के अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1431 दिनांक 27.02.2023 द्वारा तहसीलदार फलौदी की अभिशंषा व उसके संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार राजस्व ग्राम उदानीयों की ढाणी के खसरा नं0 69/1 व 69 की उल्लेखित रकबा भूमि को मौके पर स्थाई रूप से चालू लेकिन राजस्व रेकर्ड में अंकन से शेष कदीमी रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2023 के विरूद्ध अपीलांट–चैनाराम द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील सं0 3998/2023 प्रस्तुत की गई। जिसमे पारित निर्णय दिनांक 01.08.2023 द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 17.04.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आशय से वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में दिनांक 16.10.2023 को न्यायालय हाजा की पूर्व निर्णित उक्त पत्रावली पुनः नम्बर पर दर्ज की गई व उभय पक्ष की सुनवाई हेतु तारीख पेशी दी गई।

प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय, अपील मीमो एवं न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व पारित निर्णय एवं अपील के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मंगवाया जाना उचित नही समझते हुए वकील अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता को सुना गया।

दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलार्थीगण ग्राम उदानियों की ढाणी के खसरा नम्बर 69/1 व 69 के खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जबकि मौके पर रास्ता मौजूद ही नही है। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 17.4.23 विधिसम्मत नही होने से, उसे मा0 राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 01.08.2023 द्वारा निरस्त कर दिया है। अतः मा0 राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, प्रकरण उपखण्ड अधिकारी फलौदी को प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा मा0 राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार फलौदी की अनुशंषा पर ''प्रशासन गांव के संग अभियान—2021 शिविर'' में की गई है। जिसमें अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व खातेदारों को नोटिस एवं सुनवााई का अवसर नही दिया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक 1431 दिनांक 27.02.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28 मार्च, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

28/03/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर